न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 33 / 2020 / अपील / एल0आर0एक्ट / बूंदी

दायरा दिनांक 7.8.2020

किस्म अपीलः धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

कैलाशी पुत्री गंगाराम जाति गूर्जर निवासी सूंसा तह0 नैनवा जिला बूंदी (राज0)।

.......अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैंनवा जिला बूंदी–राज0।

.... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री हेमेन्द्रसिंह आसावत अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सैफुद्धीन अंसारी अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 22.2.2021

1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) बूंदी द्वारा प्रकरण संख्या 445 / प्रार्थना पत्र / 2001 अन्तर्गत नियम 14 (4) राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) 1970 बउनवान राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नैंनवा बनाम कैलाशबाई पुत्री गंगाराम गूर्जर नि0 सूंसा तहसील नैनवा जिला बूंदी मे पारित निर्णय दिनांक 12.11.2002 के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट के पक्ष मे आवंटन परार्मश दात्री समिति द्वारा ख0 नं0 32 रकबा 2 बीघा **5 बिस्वा** वाके ग्राम सूंसा का दिनांक 9.7.1999 को आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन को निरस्त करने के लिये तहसीलदार नैनवा द्वारा नियम 14 (4) राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) 1970 के अन्तर्गत आवंटन निरस्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर जेरअपील निर्णय दिनांक 12.11.2002 से अपीलांट को किया गया भूमि आवंटन दिनांक 9.7.99 निरस्त किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय के साथ पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय विधि एंव संचिका के तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट के पक्ष मे नियमानुसार बाद जांच पूर्ण कानूनी प्रकिया अपना कर उपरोक्त आराजी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन किया गया था तथा समस्त राशि जमा करा दिये जाने पर आवंटित भूमि पर कब्जा दे दिया गया था तब से अपीलांट आवंटन शुदा आराजी पर काबिज चला आ रहा है और आज भी काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का आवंटन इस आधार पर खारिज किया है कि अपीलांट एवं इसके भाई बहिन एक ही परिवार के सदस्य है जबकि अपीलांट व उसके भाई बहन बालिग है उनका परिवार अलग है और अलग अलग निवास करते है राशन कार्ड भी सभी के अलग अलग है। अतः आवंटित भूमि का आवंटन

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

निरस्त करने का कोई औचित्य नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर आवंटन बहाल रखे जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

3 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय क़ा अभिलेख प्राप्त होने उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

4 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि आवंटी भूमिहीन होने से सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुये बाद जांच आवंटन कमेटी द्वारा अपीलांट को वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया था जो नियमानुसार है। भूमि आवंटन मे कोई अनियमितता नही हुई है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का आवंटन इस आधार पर खारिज किया है कि अपीलांट एवं इसके भाई बहिन एक ही परिवार के सदस्य है जबकि अपीलांट व उसके भाई बहन बालिग है उनका परिवार अलग है और अलग अलग ही निवास करते है राशन कार्ड भी सभी के अलग अलग है। ऐसी स्थिति मे आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त करने का कोई औचित्य नही है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश निरस्त किया जावे तथा आवंटन बहाल रखा जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे आवंटन विधि विरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरअपील निर्णय से निरस्त किया जाने का कथन करते हुये अपील अपीलांट खारिज करने का अनुरोध किया।

6. हमने पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। अतः अपील पर गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व मियाद के बिन्दू पर विनिश्चय किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र मे अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14.7.2016 को पटवारी हल्का द्वारा आवंटन खारिज होने की बात कहने पर होना तथा नकले प्राप्त होने की दिनांक 26.7.2016 तक की अवधि मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य पेश की जाना वर्णित किया गया। रेस्पो0 द्वारा अपीलार्थी द्वारा शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नही किया है ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुआ विलम्ब सद्भाविक होने से डिले कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

7. पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है कि दिनांक 9.7.99 को आवंटन कमेटी द्वारा अपीलांट कैलाशीबाई को वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि आवंटन कमेटी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एक ही परिवार के व्यक्तियों को करीब 39 बीघा भूमि का आवंटन किया जाना विधिसंगत नही होने से अपीलार्थी को किया गया आवंटन, निर्णय दिनांक 12.11.2002 से निरस्त किया है। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र, रिपोर्ट

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

पटवारी तथा आवंटन आदेश का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट (बिन्दू सं0 4) अनुसार पिता के खाते मे से हिस्सा 1/5 अनुसार सिंचित 1 बीघा असिंचित 4 बीघा कुल 5 बीघा भूमि होना अंकित है तथा अपीलार्थी को आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 9.7.99 को वाके ग्राम सूंसा की ख0 नं0 32 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि का आवंटन किया गया है। इस प्रकार हिस्से अनुसार सिंचित भूमि को डबल मानते हुये कुल 6 बीघा तथा उपरोक्त आवंटित भूमि कुल रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, का योग 8 बीघा 05 बिस्वा होता है। अतः स्पष्ट है कि आवंटी के पास उपलब्ध उक्त भूमि एवं आवंटित भूमि दोनो भूमि मिलाकर अधिकतम 15 बीघा की सीमा मे ही होने से भू आवंटन नियम 20 मे तत्तसमय निहित प्रावधानों का उल्लघंन होना प्रकट नही होता है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुये बाद जांच अपीलांट को वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया था जो नियमानुसार है। भूमि आवंटन मे कोई अनियमितता होना प्रकट नही होता है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एक ही परिवार (गंगाराम) के पुत्र–पुत्रियों के नाम लगभग 39 बीघा भूमि के हुये आवटन को विधिसम्मत नही मानते हुये अपीलाट का आवंटन जेरअपील निर्णय दिनांक 12.11.2002 से निरस्त किया है जिसे हम न्यायोचित नही पाते है क्योंकि राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 मे एक परिवार के अलग–अलग निवासरत आवंटन के पात्र बालिग भाई–बहिनों को भूमि आवंटन किये जाने से प्रतिबंधित नही किया गया है। ऐसी स्थिति मे जेरअपील निर्णय मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन निरस्त किये जाने का वर्णित आधार विधिसंगत नही होने से हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को न्यायोचित नही पाते है। परिणामस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) बूंदी द्वारा प्रकरण सं0 445/प्रा0पत्र/2001 सरकार बनाम कैलाशबाई मे पारित निर्णय दिनांक 12.11.2002 निरस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 9.7.99 को बहाल रखा जाता है।

७ निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया/टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

24/2/21

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा